न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2023/282
दायरा तिथि : 30.10.2023
आदेश तिथि : 23-02-2024
प्रार्थी :–

श्री बन्ना पुत्र भोलू जाति भील निवासी खारोल मोहल्ला ताजपुरा, भगवानपुरा जिला अजमेर (राज.)

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश — दिनांक: 23-02-2024

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मोरी बेडा स्टे. पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1286 रकबा 0.4100 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम मोरी बेडा स्टे. पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1232, 1294, 1291, 1287 व 1238 में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बेडा ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2023/1855 दिनांक 12.02.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ. निरीक्षक, बेडा की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि ग्राम मोरी बेडा स्टे. पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1286 रकबा 0.4100 हैक्टर भूमि श्री बन्ना पुत्र भोलू जाति भील निवासी खारोल मोहल्ला ताजपुरा, भगवानपुरा जिला अजमेर (राज.) के नाम से खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। खातेदार की धारित भूमि में आवागमन के लिए राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नही है। पूर्व में भी खसरा नंबर 1293 के खातेदार द्वारा खसरा नंबर 1232 व 1238 में से रास्ता चाहा गया था, जिसमें उक्त खसरें मे पहाडीनुमा एवं उबड–खाबड होने से उक्त खसरो से प्रस्तावित रास्ते को खारिज की अनुशंषा की थी। अतः उपरोक्त खसरें पहाडीनुमा एवं उबड–खाबड होने से आवेदक द्वारा प्रस्तावित खसरों से रास्ता दिया जाना संभव नहीं है।
2. प्रस्तावित रास्ता किसी सडक या कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का ही है, इससे कम दूरी का कोई विकल्प आस–पास पहाडी भूमि होने से उपलब्ध नहीं है।
3. यह है कि ग्राम मोरी बेडा स्टे. मे रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है –

क्र. सं.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	1162	2.04 हैक्टर	गै.मु. मगरी	83X05= 415 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
2	1315	3.62 हैक्टर	बारानी दोयम	336X05= 1680 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
3	1314	3.97 हैक्टर	गै.मु. मगरी	165X05= 825 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
4	1313	0.83 हैक्टर	बारानी दोयम	24X05= 120 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
5	1295	0.35 हैक्टर	बारानी दोयम	10X05= 50 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
6	1296	0.20 हैक्टर	बारानी दोयम	86X05= 430 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

उपखण्ड अधिकारी बाली (जिला–पाली) राज.

Scanned by CamScanner

7	1294	0.67 हैक्टर	बारानी दोयम	32X05= 160 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक [illegible] सरकार
8	1289	0.28 हैक्टर	गै.मु. मगरी	68X05= 340 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक [illegible] सरकार
9	1287	3.46 हैक्टर	गै.मु. पत्थर	120X09= 1080 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राज[illegible] सरकार

नोटः— भू.अ. निरीक्षक बेडा की जांच रिपोर्टनुसार ग्राम मोरी बेडा स्टे. के खसरा नंबर 1313 व 129[illegible] मध्य खसरा नंबर 1297 किस्म गै.मु. नाला स्थित है, जिसमें से बारिस के समय में आस-पास क[illegible] के पानी की निकासी होती है, जो वर्तमान में सुखा पडा है। उक्त नाले में किसी प्रकार का कोई अव[illegible] ना हो इस संबंध मे आवेदक से शपथ पत्र लिया जाना अपेक्षित है।

4. यह कि प्रस्तावित भूमि ग्राम मोरी बेडा स्टे. की डी.एल.सी. दर 94562 रू/— रूपये प्रति हैक्टर है।

5. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

प्रकरण मे तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण मे वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम मोरी बेडा स्टे. पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1286 रकबा 0.4100 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान मे उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2023/185[illegible] दिनांक 12.02.2024 से नया रेकर्डड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक:प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम मोरी बेडा स्टे. पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1286 रकबा 0.4100 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम मोरी बेडा स्टे. पटवार हल्का दूदनी तहसील बाली के खसरा नंबर 1162, 1315, 1314, 1313, 1295, 1296, 1294, 1289, 1287 मे [illegible] **415+1680+825+120+50+430+160+340+1080=5100 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 7 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा कराये। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :—

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 94562 /—रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
1162	2.04 हैक्टर	83X05=415 वर्गमीटर	10	4150X2=8300	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
1315	3.62 हैक्टर	336X05=1680 वर्गमीटर	10	16800X2=33600	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
1314	3.97 हैक्टर	165X05=825 वर्गमीटर	10	8250X2=16500	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
1313	0.83 हैक्टर	24X05=120 वर्गमीटर	10	1200X2=2400	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
1295	0.35 हैक्टर	10X05=50 वर्गमीटर	10	500X2=1000	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
1296	0.20 हैक्टर	86X05=430 वर्गमीटर	10	4300X2=8600	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
1294	0.67 हैक्टर	32X05=160 वर्गमीटर	10	1600X2=3200	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
1289	0.28 हैक्टर	68X05=340 वर्गमीटर	10	3400X2=6800	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
1287	3.46 हैक्टर	120X09=1080 वर्गमीटर	10	10800X2=21600	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि **102,000/– (अक्षरे एक लाख दो हजार रूपये मात्र)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू–अभि. बेडा द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

ग्राम मोरी बेडा स्टे. के खसरा नंबर 1313 व 1296 के मध्य खसरा नंबर 1297 किस्म गै.मु. वाला जिसमें से बारिस के समय में आस पास के खेतों के पानी की निकासी होती है जो वर्तमान में सूखा पडा है। उक्त नाले में बिना जल संसाधन विभाग की अनापत्ति एवं सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता एवं न ही किसी प्रकार की संरचना जो जल प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करें उसका निर्माण नहीं किया जा सकता है।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज
(अमित) आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली

क्रमांक/कोर्ट/2024/224–228

दिनांक : 23–02–2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 बेडा
3. पटवारी हल्का, दूदनी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री बन्ना पुत्र भोलू जाति भील निवासी खारोल मोहल्ला ताजपुरा, भगवानपुरा जिला अजमेर (राज.) को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

नजरी - नक्शा
मोरीखेड़ा स्टेशन

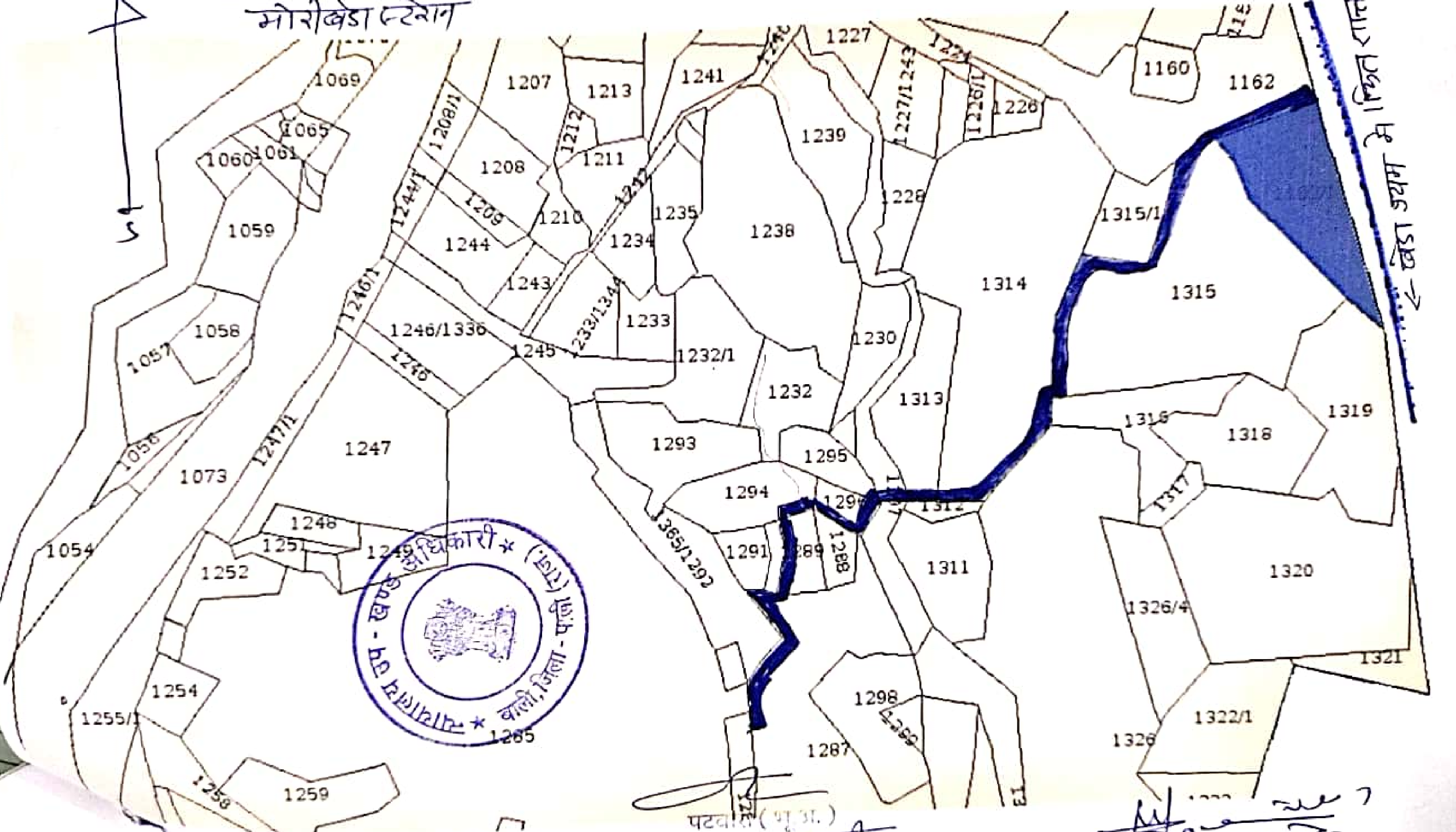

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला - पाली (राज.) ★

पटवारी (भू.अ.)
पटवार मण्डल.......डूडली.......
तहसील - बाली (जिला-पाली)

तहसीलदार, बाली

ITR खेड़ा

Scanned by CamScanner